

विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	उच्चतर शिक्षा
तारांकित प्रश्न संख्या	:	4610
उत्तर की तिथि	:	25-02-2021
विषय	:	आरक्षण
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री पवन कुमार काजल (कांगड़ा)
सम्बन्धित मन्त्री	:	शिक्षा मन्त्री

प्रश्न	उत्तर
क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सत्य है कि 20 अगस्त, 2020 को सचिव(शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी की जिसके अन्तर्गत ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सहित सभी को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था परंतु दिनांक 21 अगस्त, 2021 को निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा ओबीसी का आरक्षण रद्द कर दिया गया; यदि हां, तो कारण?	सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।

तारांकित प्रश्न संख्या: 4610 जोकि विधायक श्री पवन कुमार काजल, (कांगड़ा)
द्वारा पूछा गया है, का उत्तर :-

जी हां।

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र दिनांक 12.08.2021 के अनुसार दिनांक 20 अगस्त, 2020 के अन्तर्गत उच्च शिक्षा में आरक्षण देने के प्रावधान को विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सुझावों के मध्यनजर वापिस लिया गया था, तथा 12.8.2021 को ही हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को निर्देश दिए गए कि कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 13.6.2019 को ही आधार मानकर उच्च शिक्षा में आरक्षण बारे निर्णय लिया जाए।